प्रेस विज्ञप्ति
25/07/2026

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), बेंगलुरु आंचलिक कार्यालय ने रम्मीकल्चर ऐप एवं अन्य से संबंधित मामले में ऑनलाइन वास्तविक धन (रियल मनी) रम्मी गेम के खिलाड़ियों के साथ धोखाधड़ी कर अर्जित अपराध की आय (प्रोसीड्स ऑफ क्राइम) के धन शोधन में संलिप्तता के आरोप में मैसर्स गेम्सक्राफ्ट टेक्नोलॉजीज, मैसर्स रम्मीटाइम टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड तथा उनके संस्थापकों/निदेशकों विकास तनेजा, पृथ्वी राज सिंह, दीपक सिंह अहलावत एवं उनसे संबद्ध व्यक्तियों के विरुद्ध धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत दिनांक 25.07.2026 को माननीय विशेष न्यायालय (सीसीएच–1), बेंगलुरु के समक्ष अभियोजन शिकायत (प्रॉसिक्यूशन कंप्लेंट) दायर की है।

ईडी ने धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के तहत जांच की शुरुआत तेलंगाना राज्य में विधि प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा भारतीय न्याय संहिता, 2023 के अंतर्गत धोखाधड़ी के अपराधों से संबंधित दर्ज अनेक एफआईआर के आधार पर की थी, जो पीएमएलए के तहत अनुसूचित अपराध हैं।

पीएमएलए के तहत की गई जांच में पता चला कि आरोपी कंपनियां **रम्मीकल्चर, रम्मीप्राइम, प्लेशिप रम्मी तथा रम्मीटाइम** जैसे विभिन्न ब्रांडों के माध्यम से ऑनलाइन रम्मी गेम संचालित कर रही थीं। प्लेटफॉर्म संचालक के रूप में ये कंपनियां कुल दांव राशि पर **10 प्रतिशत से 15 प्रतिशत तक प्लेटफॉर्म शुल्क/कमीशन** वसूलती थीं। मध्यस्थ (इंटरमीडियरी) होने के नाते इन पर निष्पक्ष, पारदर्शी एवं सुरक्षित गेमिंग वातावरण उपलब्ध कराने का वैधानिक दायित्व था।

जांच में यह भी सामने आया कि **रम्मीकल्चर** प्लेटफॉर्म पर **भोले–भाले उपयोगकर्ताओं की जानकारी एवं सहमति के बिना** उनके विरुद्ध व्यापक स्तर पर **बॉट्स** (स्वचालित प्रोग्राम/एल्गोरिद्म) का उपयोग किया गया। जांच से यह भी स्थापित हुआ कि आरोपी कंपनियों ने उपयोगकर्ताओं को प्लेटफॉर्म पर बनाए रखने, उनकी भागीदारी बढ़ाने तथा अधिक दांव लगाने के लिए अनेक भ्रामक एवं छलपूर्ण उपाय अपनाए। इनमें नए उपयोगकर्ताओं को निःशुल्क बोनस क्रेडिट, जमा बोनस, रेफरल प्रोत्साहन तथा विभिन्न प्रचार योजनाओं के अंतर्गत पुरस्कार देना शामिल था। हालांकि, इन प्रोत्साहनों को चरणबद्ध तरीके से जारी किया जाता था, जिससे उपयोगकर्ताओं को अधिक संख्या में गेम खेलने के लिए प्रेरित किया जाता था।

इन प्रोत्साहनों के अतिरिक्त कंपनियों ने बार–बार पुश नोटिफिकेशन, एसएमएस, टेलीमार्केटिंग कॉल तथा ब्रांड एंबेसडरों के माध्यम से अपने प्लेटफॉर्म का व्यापक प्रचार किया, जिससे उपयोगकर्ताओं में यह भ्रामक धारणा उत्पन्न की गई कि ऑनलाइन रम्मी खेलकर आसानी से धन कमाया या जीता जा सकता है। इसके अतिरिक्त, कंपनियों ने उपयोगकर्ताओं द्वारा जमा की गई राशि एवं जीती गई धनराशि की निकासी पर कई प्रतिबंधात्मक शर्तें लागू कीं, जिनमें कुछ

मामलों में 5 प्रतिशत से 10 प्रतिशत तक निकासी शुल्क शामिल था। साथ ही, उपयोगकर्ताओं को अपनी निकासी योग्य राशि निकालने के बजाय उसे 'गेम कैश' में परिवर्तित करने के लिए भी प्रेरित किया गया। वित्तीय हानि के कारण निष्क्रिय हो चुके उपयोगकर्ताओं को उनकी प्लेटफॉर्म पर पूर्व राजस्व हिस्सेदारी के आधार पर 'इंस्टेंट कैश' पुरस्कार देकर पुनः खेलने के लिए प्रलोभित किया गया। **इन धोखाधड़ीपूर्ण प्रलोभनों एवं हेरफेरपूर्ण तरीकों** के माध्यम **से आरोपी कंपनियों ने उपयोगकर्ताओं में ऑनलाइन गेमिंग की लत को बढ़ावा दिया।** इन अनुचित गतिविधियों के कारण उपयोगकर्ताओं को भारी आर्थिक नुकसान तथा गंभीर मानसिक पीड़ा का सामना करना पड़ा। कुछ मामलों में **आर्थिक एवं मानसिक तनाव के कारण आत्महत्या की घटनाएं भी हुईं,** जिनके संबंध में एफआईआर दर्ज की गईं और जिनमें मृत्यु का कारण ऑनलाइन रम्मी गेम की लत एवं धन की हानि पाया गया। वित्तीय वर्ष 2017-18 से 2025-26 (दिनांक 22.08.2025 तक) की अवधि में इन **आरोपी कंपनियों ने कमीशन के रूप में लगभग 19,984 करोड़ रुपये की अपराध की आय अर्जित की।**

आगे की जांच में यह भी सामने आया कि **उपरोक्त गतिविधियों से अर्जित अपराध की आय को लाभांश भुगतान एवं शेयरों की बाय-बैक प्रक्रिया के माध्यम से लेयरिंग कर वैध स्वरूप प्रदान किया गया।** इसके बाद इन धनराशियों को म्यूचुअल फंड, बॉण्ड, कन्वर्टिबल नोट्स, इक्विटी शेयर, चल संपत्तियों तथा उच्च मूल्य की अचल संपत्तियों में, जिनमें निजी पारिवारिक ट्रस्टों एवं संबद्ध संस्थाओं के माध्यम से धारित संपत्तियां भी शामिल हैं, निवेश कर छिपाया गया तथा उन्हें बेदाग संपत्ति के रूप में प्रदर्शित किया गया।

अब तक ईडी ने आरोपियों, उनके परिवार के सदस्यों तथा उनके निजी पारिवारिक ट्रस्टों एवं संस्थाओं के नाम पर पंजीकृत अथवा धारित **लगभग 2,401 करोड़ रुपये मूल्य की चल एवं अचल संपत्तियों के रूप में अपराध की आय को कुर्क, जब्त एवं फ्रीज किया** है।

आगे की जांच जारी है।